

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/स्था./18/2007/५०५
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०६-०२-०८

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय:- युक्तियुक्तरण की कार्यवाही किए जाने बाबत ।

- संदर्भ:- (1) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 6-1/2007/1/9 भोपाल दिनांक 11 मई, 2007
(2) संचालनालय का पत्र क्रमांक/स्था.3/सी2/स्था./18/07/ 1558 दिनांक 23.05.2007
(3) म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक/एफ 1-512/2002/ बीस-एक, दिनांक 19.05.2004
(4) म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 1-13/2005/20-1, दिनांक 08.06.2005

cccc

विषयांकित संदर्भ क्रमांक (1) से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2007-08 जारी की गई थी । इसी तारतम्य में संदर्भ क्रमांक (2) से विभागीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही के साथ ही युक्तियुक्तरण की कार्यवाही भी समयबद्ध रूप से सम्पन्न करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे । संदर्भ क्रमांक-3 में युक्तियुक्तरण कार्यवाही में अपनाये जाने वाले मापदण्डों का उल्लेख है । संदर्भ क्रमांक-4 में संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन हेतु रिक्त पदों का आंकलन एवं युक्तियुक्तरण के संबंध में निर्देश वर्णित हैं ।

मान.मंत्रीजी द्वारा ली गई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों में संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि युक्तियुक्तरण की कार्यवाही में रही न्यूनताओं के फलस्वरूप अभी भी शहरों एवं समीपस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के आधिक्य की स्थिति है व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही है । इससे शालाओं की अध्यापन व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । दिनांक 24 जनवरी, 2008 को संचालनालय में आयोजित समीक्षा बैठक में भी इस बिन्दु पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे ।

स्मरणीय है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संविदा शाला शिक्षकों की भरती हेतु पात्रता परीक्षा की कार्यवाही 30 अप्रैल, 2008 तक सम्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि शैक्षणिक सत्र के पूर्व प्रारम्भ में ही शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके ।

...2....

यह प्रक्रिया समय पर प्रारम्भ होकर गुणवत्ता से सम्पन्न हो सके इसके लिए जिलों में छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुसार पदों की गणना एवं तदानुसार युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जाना एक प्राथमिक आवश्यकता है । ध्यान रहे कि आपको रिक्तियों का शालावार आंकलन तत्काल करना होगा ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन निर्देशों के अनुसार दिनांक 15 फरवरी, 2008 के पूर्व युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पदों के पुनर्वितरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न कर अवगत कराना सुनिश्चित करें । इस कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अतिशेष पाये गये शिक्षकों के स्थानांतरण इस प्रकार किए जायें कि शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान हुए बिना वे 01 मई 2008 को अपनी नवीन पदांकित शाला में उपस्थित हो सकें ।

संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/स्था./18/2007/405

भोपाल, दिनांक 06-02-08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय मध्यप्रदेश ।

संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश